छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक– 1795 /छ.ग.सं/प्रका./2021–22 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक : 29/11/2021

छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति

आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, बोर्ड एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु निविदा के अनुमोदित दर पर स्वयं के स्वामित्व वाले होर्डिंग्स एजेन्सियों के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क राशि रु. 590/– (पांच सौ नबे रूपए मात्र) जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) का छत्तीसगढ़ संवाद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा। निविदा की नियम शर्तें छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। परिवर्तन की सूचना उक्त वेबसाईट में दी जायेगी।

अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क	रूपए 590/– (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नही।
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13/12/2021 समय अपरान्ह 2:00 बजे तक
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13/12/2021 समय अपरान्ह 3:00 बजे तक
अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 13/12/2021 समय सायं 4:00 बजे तक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- http://samvad.cg.nic.in, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी नियम एवं शर्तें

1 छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगम, मंडल, बोर्ड एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के लिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

2 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा छत्तीसगढ़ के (जिला मुख्यालयों को छोड़कर) सभी विकासखण्डों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों में होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु स्वयं के स्वामित्व के होर्डिंग्स वाले फर्मों से छत्तीसगढ़ संवाद के 'स' श्रेणी के होर्डिंग्स निविदा के न्यूनतम अनुमोदित दर पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु होर्डिंग्स के स्पेस किराये से देने वाले फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु फर्मों से रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

3 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर कुल 4 फर्मों का इम्पैनलमेंट किया गया है। विकासखण्ड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार के हेतु पूर्व में इम्पैनल्ड फर्मों के अतिरिक्त इस कार्य में रूचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

4 फर्मों को लिफाफे पर 'टेक्निकल बिड' लिखकर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

4.1 फर्म का पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित)

4.2 Assessment Year 2020-2021 का आयकर रिटर्न की प्रति। (स्वप्रमाणित)

4.3 प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं) रूपए 590/– (रू. पांच सौ नब्बे मात्र) की छत्तीसगढ़ संवाद के नाम रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की मूल प्रति।

4.4 विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत अथवा संबंधित स्थानीय निकाय से जारी किए गए (संबंधित संस्थान से प्राप्त रसीद की प्रति) स्वयं की स्वामित्व वाले वैध लाइट होर्डिंग्स अथवा बिना लाइट होर्डिंग्स की सूची।

4.5 होर्डिंग्स का फोटो एल्बमब–होर्डिंग्स की साइज एवं होर्डिंग्स लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए टेक्निकल बिड लिफाफे में शामिल करना होगा।

5 फर्म के पास अस्पताल, पुलिस थाना/चौकी, पंचायत भवन, बस अड्डा, मुख्य सड़क, आंगनवाड़ी, मंडी/बाजार क्षेत्र जैसे पब्लिक प्लेस में प्रदेश के 02 ब्लॉक में कम से कम कुल 10 होर्डिंग्स होना अनिवार्य है। फर्म के पास न्यूनतम 10 होर्डिंग्स न होने की स्थिति में फर्म को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में यह अंडर टेकिंग (02 ब्लॉकों के 10 ग्राम पंचायतों में कम से कम 10 होर्डिंग्स) देना होगा कि फर्म द्वारा वांछित स्थानों में 15 दिवस के अंदर निर्धारित गुणवत्ता/मापदण्ड में होर्डिंग्स स्थापित कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से वैध होर्डिंग्स की सूची छत्तीसगढ़ संवाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

6 फर्म के पास स्थापित किए गए अथवा किए जाने वाले होर्डिंग्स हेतु न्यूनतम आकार 20X10 वर्ग फीट का होना चाहिए। सरई लकड़ी 2"x1 $^{1/2"}$ GI sheet: 26 guage Gandar (20 फीट) 6"x3"-2 नग, Cost is Inclusive of completeFabrication/Installation/Transportation/display (flex/printing and Mounting), इसके निर्माण में यातायात सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। जमीन से लगभग 6 फीट ऊंचाई पर ही होर्डिंग्स की स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा।

7 जान–माल की सुरक्षा की सभी जिम्मेदारी प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले फर्म का होगा, अन्य कोई भी सुरक्षा संबंधी थर्ड पार्टी इंश्यूरेन्स आदि होर्डिंग्स एजेंसी/फर्म को सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार के क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद जिम्मेदार नहीं होगा।

8 इम्पैनल्ड एजेंसी/फर्मों को कार्य के तत्कालिकता, आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

9 होर्डिंग्स हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार–प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर/कार्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं होने पर तद्नुसार देयक में कटौती की जाएगी।

10 होर्डिंग्स लगाने की निर्धारित अवधि में प्रिंटिंग मीडिया लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ–साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। प्रिंटिंग मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।

11 फर्मों को कार्यादेश अनुरूप होर्डिंग्स डिस्प्ले कर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति हस्ताक्षर–सील एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां, जिसमें होर्डिंग्स की लोकेशन(अंक्षाश–देशांश), अवधि एवं साईज उल्लेखित हो, देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

12 संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

13 कार्य आबंटन के पूर्व राशि रु. 50,000/- की अमानत राशि जमा करना होगा।

14 कार्यादेश जारी करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर होर्डिंग्स स्थापित कर लगाना होगा अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।

15 फर्मों को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

16 इम्पैनलमेंट की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए मान्य होगी। समय अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।

17 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये होर्डिंग्स निगरानी ऐप में लगाये गये होर्डिंग्स का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार होर्डिंग्स डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि) उपलब्ध कराना होगा।

18 होर्डिंग्स के स्पेस चार्ज हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर निम्नानुसार हैः-

क्र.	विवरण	अवधि	दर
1	बिना लाईट होर्डिंग्स- राज्य के विभिन्न जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के बिना लाइट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर। 8 से 29 दिन की दर 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जाएगा। (शासन द्वारा निर्धारित कर अतिरिक्त देय होगा।)	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	@ 14/-
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	@ 22/-
		4-6 माह (प्रति माह वर्ग फीट)	@ 22/-
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	@ 22/-
2	लाईट होर्डिंग्स- राज्य के विभिन्न जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लाइट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर। 8 से 29 दिन की दर 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जाएगा। (शासन द्वारा निर्धारित कर अतिरिक्त देय होगा।)	न्यूनतम 7 दिन (प्रति वर्ग फीट)	@ 20/-
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	@ 39/-
		4-6 माह (प्रति माह वर्ग फीट)	@ 39/-
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	@ 39/-

(पंजीकृत फर्मों के लिए जीएसटी अतिरिक्त)

उपरोक्त दरों के अतिरिक्त प्रिंट मीडिया (नान पीवीसी फ्लैक्स) सामग्री एवं मुद्रण हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दर राशि रु. @ 10.50/– रूपए प्रति वर्ग फीट(जीएसटी अतिरिक्त) की दर से भुगतान किया जाएगा।

19 आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):– किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन–प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20 व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर